संख्या-56 /2026/1893/26-3-2026- 2025191

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2026**

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6324/स0क0/विकास/स0वि0के0/कार्य योजना/2025-26, दिनांक 18-03-2026 एवं संख्या-5394/ स0क0/विकास/स0वि0के0/कार्य योजना/2025-26, दिनांक 10.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु निम्नानुसार विभिन्न जनपदों में सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

जनपदों की ग्राम पंचायतों जहां 1050 वर्ग मी0 या उससे अधिक भूमि उपलब्ध है

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	स्थान	भूमि की उपलब्धता (वर्ग मीटर में)	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	कानपुर नगर	हथेड़ी	10240	80.81
2	सहारनपुर	विकास खण्ड- नानौता के ग्राम शिमलाना	1050	80.81
3	सहारनपुर	ग्राम- धौराला	1050	80.81
4	देवरिया	पहाड़पुर	1170	80.81
5	कुशीनगर	फटकदौना	1060	80.81
6	सिद्धार्थनगर	अन्डुआ शनिचरा	1590	80.81
7	सिद्धार्थनगर	बैदौली कलां	3660	80.81
8	रामपुर	ग्राम सभा- रुस्तम नगर, निकट रायपुर	2250	80.81
9	बस्ती	ग्राम - बनरही जंगल	1250	80.81
10	अयोध्या	ग्रामं- रामपुर प्रताप	1680	80.81

11	संतकबीर नगर	ग्राम पंचायत विषयाहन्नू	3540	80.81
12	अम्बेडकर नगर	घरवासपुर (आशाजीत पुर कला)	1500	80.81
13	हरदोई	ग्राम पंचायत- बेहटा गोकुल	1140	80.81
14	हरदोई	ग्राम पंचायत- शाहपुर बिनौरा	3040	80.81
15	बाराबंकी	ग्राम- सूरजपुर	1512	80.81
16	पीलीभीत	ग्राम- सुलतानपुर	1050	80.81
17	बलिया	ग्राम सभा बघौना कला	1000	80.81
18	गोरखपुर	सरंया तिवारी	1420	80.81
कुल धनराशि				**1454.58**

उक्त के अतिरिक्त इस योजनान्तर्गत ऐसे जनपदों की ग्राम पंचायतों जहां 500 वर्ग मी0 से अधिक एवं 1050 वर्ग मी0 से कम भूमि उपलब्ध है का प्रस्ताव निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	**जनपद**	**स्थान**	**भूमि की उपलब्धता (वर्ग मीटर में)**	**स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कानपुर नगर	राजकीय उन्नयन बस्ती	500	65.00
2	कानपुर नगर	भवनपुर	500	65.00
3	औरैया	आयाना	490	65.00
4	औरैया	जुलूपुर	500	65.00
5	देवरिया	ग्राम सभा पांडेय भिसवा	490	65.00
6	देवरिया	जगंन्नाथ छपरा	710	65.00
7	कुशीनगर	ग्राम- दरगौली	540	65.00
8	कुशीनगर	सरगटिया	691	65.00
9	कुशीनगर	जंगल सिंगापट्टी	770	65.00
10	कुशीनगर	बघपरना	900	65.00
11	हाथरस	लाखनू	500	65.00
12	हाथरस	ग्राम मोती नगला	500	65.00
13	प्रयागराज	डीहा उपरहार	570	65.00
14	सिद्धार्थनगर	गौराही बुजुर्ग	500	65.00
15	जालौन	विकास खण्ड- रामपुरा के ग्राम- जगम्मनपुर	730	65.00
16	जालौन	बरौदाकला	800	65.00
17	गाजीपुर	ग्राम- सुवापुर	500	65.00
18	गाजीपुर	ग्राम- गोसलपुर	500	65.00
19	बस्ती	परसाखाल	500	65.00

20	बस्ती	ग्राम कलानी कला (कलानी खुर्द)	500	65.00
21	बस्ती	ग्राम- पिडावल	780	65.00
22	बस्ती	ग्राम - मझौवा वैकुण्ठ	670	65.00
23	रायबरेली	विकास खण्ड- डीह के ग्राम सभा- खेतौधन	500	65.00
24	अयोध्या	वि0 ख0- सोहावल के ग्राम- सुरवारी	750	65.00
25	संतकबीर नगर	तामा खास	490	65.00
26	महाराजगंज	वि0 ख0 लक्ष्मीपुर के ग्राम प करडीहा	610	65.00
27	शामली	ग्राम पंचायत भोगी मजरा	820	65.00
28	हरदोई	ग्राम पंचायत धोंधी	500	65.00
29	लखनऊ	विधान सभा क्षेत्र- बी.के.टी के ग्राम - बड़ा खेमपुर	700	65.00
30	बुलंदशहर	कलंदर गढ़ी	500	65.00
31	बलरामपुर	हिन्दूलीकलां	500	65.00
32	बलरामपुर	धर्मपुर	810	65.00
33	बलिया	ग्राम पंचायत- महरी	500	65.00
34	जौनपुर	ग्राम सभा- पतहना	500	65.00
35	जौनपुर	अहिरोपरसुरामपुर	500	65.00
36	जौनपुर	ग्राम- परमलपट्टी	500	65.00
37	कन्नौज	ग्राम- अनौगी	800	65.00
38	कन्नौज	ग्राम- गुगरापुर बांगर	650	65.00
39	कन्नौज	ग्राम- माधोनगर	520	65.00
कुल धनराशि				**2535.00**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-4225-01-789-10-1004 सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-5000.00 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को नामित करते हुए निम्नानुसार 1050 वर्ग मी0 अथवा उससे अधिक भूमि वाले तथा 500 वर्ग मी0 से अधिक एवं 1050 वर्ग मी0 से कम उपलब्ध भूमि वाले विभिन्न जनपदों के सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु उपरोक्त तॉलिका के कॉलम-5 में क्रमशः उल्लिखित धनराशि रू0-1454.58 लाख एवं धनराशि रू0 2535.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 3989.58 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-3989.58 लाख (रूपये उनतालीस करोड़ नवासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) के प्रबन्ध निदेशक से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है, तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र –जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं दिनांक 19.06.2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था , निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं जनपदीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष टेण्डर लागत के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही

धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, समाज कल्याण एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आयं-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्ट/सी0पी0एम0 चार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(19) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कुछ ही दिन अवशेष हैं, एवं प्रश्नगत नवीन सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु कार्य योजना/स्वीकृति का प्रस्ताव अन्तिम दिवसों में उपलब्ध कराया गया है । अतः स्वीकृति के पश्चात उक्त धनराशि के उपभोग/वितरण से पूर्व प्रत्येक सामुदायिक केन्द्रों के आगणन की शुद्धता/लागत के सम्बन्ध में/ निःशुल्क भूमि की उपलब्धता/ग्राम की पात्रता/अनुसूचित जातियों का प्रतिशत एवं अन्य मानक के सम्बन्ध में सुनिश्चित होने के उपरान्त किया जायेगा।

(21) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(22) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रू0-39,89,58,000/- (रूपये उनतालीस करोड़ नवासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-4225-01-789-10-1004 सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 30-03-2026
14:35:02

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनुभाग सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल।

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव